



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274252
CG-DL-E-08072026-274252

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3517]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3517]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

का.आ. 3679(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5333 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 का अधिक्रमण करते हुए, यह आदेश करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक, यथास्थिति, माल या यात्री वहन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के परिवहन यानों के संबंध में लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-

- “(i) केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 2 के खंड (प) के अधीन यथा परिभाषित कोई बैट्री प्रचालित यान;
(ii) मैथनॉल ईंधन से चालित कोई यान;
(iii) एथेनॉल ईंधन से चालित कोई यान; और
(iv) हाइड्रोजन ईंधन से चालित कोई यान।

उपरोक्त मद (i) से मद (iv) में विनिर्दिष्ट यानों को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-140 में दिए गए विनिर्देशों के अनुपालन में किसी यान अवस्थिति ट्रैकिंग युक्ति के साथ सज्जित किया जाएगा।”

[फा. सं. आरटी-11036/80/2012-एमवीएल (भाग-4)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2026

S.O. 3679(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, *vide* number S.O. 5333 (E) dated the 18th October, 2018, the Central Government hereby orders that, for a period of seven years from the date of publication of this notification, the provisions of sub-section (1) of section 66 of the said Act shall not apply to the following types of transport vehicles used, or to be used, for the purpose of carriage of goods or passengers as the case may be, namely:-

- “(i) a Battery-Operated Vehicle as defined under clause (u) of rule 2 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;
- (ii) a vehicle driven on methanol fuel;
- (iii) a vehicle driven on ethanol fuel; and
- (iv) a vehicle driven on Hydrogen fuel.

The vehicles specified in items (i) to (iv) above shall be fitted with a vehicle location tracking device complying with the specifications given in AIS-140, as amended from time to time”.

[F. No. RT-11036/80/2012-MVL(Part-IV)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.